फाइल सं. 14020/1/2009-आर एण्ड एम
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
(आर एण्ड एम अनुभाग)
*****

जनजातीय कार्य मंत्रालय में एक परामर्शदाता की नियुक्ति

जनजातीय कार्य मंत्रालय में एक परामर्शदाता (अनुसंधान एवं मीडिया) के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य एवं अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस नियुक्ति के विषय में पात्रता, किए जाने वाले कार्यों का विवरण, नियुक्ति की सेवा शर्तें एवं अवधि इत्यादि की जानकारी हेतु इस मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर संपर्क करें। सभी संगत दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र उप-सचिव (अनुसंधान एवं मीडिया), जनजातीय कार्य मंत्रालय, कमरा सं. 281, अगस्त क्रान्ति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-66 को स्पीड पोस्ट अथवा **touthang@nic.in** पर ई-मेल के माध्यम से रोजगार समाचार पत्र में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि के 15 दिनों के भीतर भेजें। आवेदन पत्र वाले लिफाफे के ऊपर"परामर्शदाता (अनुसंधान एवं मीडिया) के पद हेतु आवेदन" लिखें।

विज्ञापन

जनजातीय कार्य मंत्रालय में निम्नांकित कार्यों हेतु एक परामर्शदाता की सेवा पूर्णकालिक आधार पर परन्तु निर्धारित अवधि हेतु शीघ्र वांछित हैः-

1. अनुसंधान/संगोष्ठी/कार्यशाला

(क) अध्ययन रिपोर्टों की जांच/ संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु सिफारिशों का संकलन।
(ख) आयोजित अनुसंधान अध्ययन रिपोर्टों एवं संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं का एक व्यापक डाटाबेस अनुरक्षित करना।
(ग) प्राप्त तथ्यों का विभिन्न मीडिया एवं फोरम के माध्यम से व्यापक प्रचार करने हेतु कार्य योजना बनाना।
(घ) अनुसंधान अध्ययनों/ संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं एवं प्रगति की निगरानी से संबंधित विषयों का समन्वय।
(ङ) प्रत्येक अनुसंधान अध्ययन हेतु प्रणाली एवं मानदण्डों का विकास करना।
(च) अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक सहायता उपलब्ध कराना।
(छ) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों एवं अनुसंधान आयोजित करने वाली एजेन्सियों के साथ कार्य करना एवं समग्र एमआईएस के साथ डाटा लिंकिंग के प्रबंधन में उनके साथ कार्य करना।

2. निगरानी एवं मूल्यांकन

(क) मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्टों की जांच और विश्लेषण/ संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु सिफारिशों का संकलन।
(ख) आयोजित मूल्यांकन अनुसंधान अध्ययन रिपोर्टों एवं संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं का एक व्यापक डाटाबेस अनुरक्षित करना।
(ग) प्राप्त तथ्यों का विभिन्न मीडिया एवं फोरम के माध्यम से व्यापक प्रचार करने हेतु कार्य योजना बनाना।
(घ) समग्र कार्य योजना के अनुसार निगरानी एवं मूल्यांकन गतिविधियों में समन्वयन करना तथा निगरानी एवं मूल्यांकन गतिविधियों की प्राप्तियों एवं परिणामों का विश्लेषण करना।
(ङ) इन प्राप्तियों के आधार पर मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में संशोधन/ सुधार हेतु जानकारी देना।
(च) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों एवं अनुसंधान आयोजित करने वाली एजेन्सियों के साथ कार्य करना एवं समग्र एमआईएस के साथ डाटा लिंकिंग के प्रबंधन में उनके साथ कार्य करना।
(छ) मूल्यांकन रिपोर्टों के व्यापक डाटा बेस को अनुरक्षित करना।
(ज) निगरानी एवं मूल्यांकन घटक हेतु संगत उपकरणों, दिशा-निर्देशों, प्रतिवेदन प्रारूपों का विकास करना।
(झ) महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं एवं उत्तम प्रथाओं का अभिलेखीकरण करना।
(ञ) विविध कार्य।

3. उम्मीदवार से निम्नांकित योग्यताएं/अनुभव की आशा की जाती है।

(क) वह मानविकी, प्राथमिकता के तौर पर सामाजिक विज्ञान/ मानव विज्ञान में स्नातकोत्तर हो।
(ख) उसकी सम्प्रेषण क्षमता, मौखिक एवं लेखन की दोनों, उत्कृष्ट हो।
(ग) उसके पास विविध सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं रिपोर्ट तैयार करने हेतु विश्लेषणात्मक अभिरूचि हो।
(घ) उसमें कम्प्यूटर पर कार्य करने एवं बिना किसी सहायता के स्वंय रिपोर्ट बनाने की क्षमता हो।
(ङ) वह दिल्ली/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवास कर रहा हो।
(च) भारत सरकार अथवा इसके किसी अन्य संगठन में कार्य-अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।
(छ) इस पद के लिए योग्य सेवा निवृत्ति प्राप्त सरकारी कर्मचारी के आवेदन पत्र पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उसकी आयु सीमा 62 वर्ष हो।

4. 25,000 रूपये प्रतिमाह की सीमा के भीतर एवं शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव की अवधि के आधार पर पारिश्रमिक राशि दी जाएगी। सेवा निवृत्ति प्राप्त सरकारी कर्मचारी के संबंध में डीओपीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक राशि तय की जाएगी।

5. सभी संगत दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र उप-सचिव (अनुसंधान एवं मीडिया), जनजातीय कार्य मंत्रालय कमरा संख्या 281, अगस्त क्रान्ति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 को स्पीड पोस्ट (**touthang@nic.in** पर ई-मेल के माध्यम से) रोजगार समाचार पत्र में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि के 15 दिनों के भीतर भेजें।

6. सूचीबद्ध उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा एवं उनका पैनल बनेगा। सर्वोत्तम उम्मीदवार का चयन किया जाएगा तथा शेष उम्मीदवारों को वर्ष के दौरान उसके बाद के कार्यों हेतु रखा जाएगा।